संख्या / /2015/XXVII(9)/मनो0कर–01/2015

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक 25 फरवरी, 2015

विषयः– फीचर फिल्म "ल्या ढुंगार" को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम–1979 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) की धारा–11(1) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय फिल्म "ल्या ढुंगार" को उत्तराखण्ड राज्य में प्रथम प्रदर्शन की तिथि से 02 माह तक शत–प्रतिशत मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– विषयगत सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि ऐसे सिनेमा का स्वामी जिसमें फिल्म का कर से मुक्त प्रदर्शन किया जाय, उ0प्र0 आमोद और पणकर नियमावली–1981 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) में निर्धारित प्रपत्र "ख" लेखा विहित रूप से प्रत्येक प्रदर्शन के लिये निर्धारित समय में नियमित रूप से तैयार करेगा, और इस सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली के समस्त सम्बन्धित नियम उसी प्रकार से लागू होंगे, जिस प्रकार समान्य फिल्मों के प्रदर्शनों में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त कर मुक्त फिल्म के लिये जारी किये जाने वाले टिकट पर यथा स्थिति शब्द पूर्ण कर मुक्त मुद्रित होंगे, अथवा रबर की मुहर से अंकित किये जायेंगे, तथा टिकटों के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली के समस्त सम्बन्धित नियम लागू होंगे। सम्बन्धित सिनेमा स्वामी से उक्त का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय।

3– निर्माता द्वारा फिल्म प्रदर्शन की सम्पूर्ण सूचना आयुक्त कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को अग्रिम रूप से प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

4– प्रश्नगत फिल्म को मनोरंजन कर से छूट दिये जाने के फलस्वरूप शासन को होने वाली राजस्व हानि की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी, आयुक्त कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को यथासमय देना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या 34 (1)/2015/XXVII(9)/मनो0कर–01/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः

1. आयुक्त, कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।